

शमिला विकास योजना 2041

प्रलिस के लयि:

[नगर नगिम](#), शमिला विकास योजना 2041, सतत् विकास, [अमुत \(कायाकल्प एवं शहरी परविरतन के लयि अटल मशिन\)](#), [राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण \(NGT\)](#) ।

मेन्स के लयि:

शमिला विकास योजना 2041, वभिनिन क्षेत्रों में विकास के लयि सरकारी नीतयिों तथा हसतकषेप एवं उनके डज़ाइन और कारयान्वयन से उत्पन्न मुददे ।

[स्रोत:डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शमिला विकास योजना 2041 को मंजूरी दी गई है, जसिका उद्देश्य हमिचल प्रदेश के राजधानी शहर में नरिमाण गतविधियिों को [टकिऊ बनाने के साथ वनियिमति करना है](#) ।

शमिला विकास योजना 2041 क्या है?

परचिय:

- शमिला योजना क्षेत्र 2041 के लयि विकास योजना का मसौदा फरवरी 2022 में प्रकाशति कयिा गया था ।
- विकास योजना भारत सरकार की [अमुत \(कायाकल्प एवं शहरी परविरतन के लयि अटल मशिन\)](#), उप-योजना के अंतगत हमिचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नयिोजन वभिग द्वारा तैयार की गई है ।
 - योजना GIS (भौगोलकि सूचना प्रणाली) आधारति है । यह हमिचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नयिोजन अधनियिम, 1977 के प्रावधानों के अंतगत शमिला [नगर नगिम](#) तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है ।
- योजना में कहा गया है कि "नगर नयिोजन NGT के दायरे में नहीं आता है" ।

वधिकि लडाई की पृष्ठभूमि:

- योजना की प्रारंभकि मंजूरी पछिली राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में दी गई थी ।
- [राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण \(NGT\)](#) के अनुसार, योजना को असंवैधानकि घोषति करने के साथ वर्ष 2017 में लगाए गए पहले के नरिणयों का उल्लंघन माना गया था, जसिने हसतकषेप कयिा और मई 2022 में स्थगन आदेश जारी कयिा ।
 - NGT के वर्ष 2017 के नरिणय ने शमिला योजना क्षेत्र में दो मंजलिा तथा दो मंजलि से ऊपर की इमारतों के नरिमाण पर रोक लगा दी थी ।
 - NGT ने पाया कि योजना ने प्रतर्बिधति क्षेत्रों में अधिकमंजलिों के साथ नए नरिमाण की अनुमति देकर प्रतर्बिध का उल्लंघन कयिा है । NGT ने राज्य में जारी रहने पर कानून, पर्यावरण तथा सार्वजनकि सुरक्षा में हानि की चेतावनी दी ।
- राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तथा मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को विकास योजना के मसौदे पर आपत्तयिों का समाधान करने के साथ छह सप्ताह के भीतर अंतमि योजना जारी करने का नरिदेश दयिा ।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय?

- शमिला विकास योजना 2041 को जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के पहले के नरिणयों को पलटते हुए मंजूरी दे दी थी । न्यायालय ने तर्क दयिा कि राज्य सरकार को विकास योजना का मसौदा तैयार करने के बारे में नरिदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।
- न्यायालय ने उल्लेख कयिा कि NGT राज्य सरकार को योजना तैयार करने का आदेश नहीं दे सकती है, लेकनि योजना की गुणवत्ता के आधार पर जाँच कर सकती है ।
- न्यायालय ने माना कि वर्ष 2041 की विकास योजना संतुलति एवं सतत् प्रतीत होती है, लेकनि इस बात पर ज़ोर दयिा कि क्षेत्र अभी भी योजना के

वशिष्ट पहलुओं को उनकी योग्यता के आधार पर चुनौती देने के लिये तैयार हैं।

राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण (NGT) क्या है?

- यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र नपिटान के लिये **राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण अधिनियम (2010)** के अंतर्गत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- **NGT की स्थापना** के साथ **भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड के बाद** एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला **दुनिया का तीसरा देश** बन गया, साथ ही ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।
- सात नरिधारित कानून (**अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध**) जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा **जैवविविधता अधिनियम 2002** हैं। जनिहोंने वविाद के साथ NGT अधिनियम की विशेष भूमिका को जन्म दिया।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से उसका नपिटान करना अनविर्य है।
- NGT की बैठक के पाँच स्थान हैं, नई दलिली बैठक का प्रमुख स्थान है और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अन्य चार स्थान हैं।
- **न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, जो प्रधान पीठ की अध्यक्षता** करते हैं, के साथ ही न्यूनतम 10 न्यायिक सदस्य तथा अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।
- न्यायाधिकरण के नरिणय बाध्यकारी होते हैं। **न्यायाधिकरण के पास अपने नरिणयों की समीक्षा करने की शक्तियाँ** हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तब 90 दिनों के भीतर नरिणय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन (AMRUT) क्या है?

- **प्रारंभ:** जून 2015
- **संबंधित मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA)
- **उद्देश्य:**
 - हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
 - मशिन का प्राथमिकता क्षेत्र सीवरेज के बाद जल आपूर्ति है।
 - हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थानों (जैसे- पार्क) का विकास करके शहरों की सुविधा का मूल्य बढ़ाना।
 - सार्वजनिक परिवहन का कम उपयोग कर उसके बदले या गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे- पैदल और साइकिल चलाना) के लिये सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।
- **घटक:**
 - क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, शहरी परिवहन तथा हरति स्थानों एवं पार्कों का विकास।
 - सुधारों का उद्देश्य नागरिक सेवाओं की डलिलीवरी में सुधार करना, डलिलीवरी की लागत को कम करना, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करना, संसाधनों को बढ़ाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसमें स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना भी शामिल है।
- **राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP):**
 - AMRUT ने MoHUA द्वारा वर्ष में एक बार SAAP की मंजूरी देकर परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाया है तथा राज्यों को अपने अंत में परियोजना मंजूरी देनी होती है, इसलिये **सहकारी संघवाद** का एहसास होता है।
- **नरीक्षण:**
 - एक शीर्ष समिति (Apex Committee - AC), जिसकी अध्यक्षता सचिव, MoHUA करता है और जिसमें संबंधित मंत्रालयों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मशिन की नगरिनी करती है।

UPSC, सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरति अधिकरण (एन.जी.टी) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी) से भिन्न है? (2018)

1. एन.जी.टी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सी.पी.सी.बी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।
2. एन.जी.टी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सी.पी.सी.बी झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shimla-development-plan-2041>

